उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-17/2016/547/38-6-16-02(एनआरएलएम)/2015टीसी

लखनऊः दिनांक-23 जून, 2016

<u>शुद्धि पत्र</u>

शासनादेश संख्या-10/367/38-6-16-02(एनआरएलएम)/2015, दि0-28.04.2016 द्वारा (एनआरएलएम एवं एनआरएलपी) वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान सं0-13 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रू0-864.37 लाख(के0 60+रा040) की धनराशि केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखी गयी है। इस संबध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित धनराशि 'रू0-864.37 लाख' के स्थान पर रू0-864.37 लाख(रूपये आठ करोड चौसठ लाख सैतीस हजार मात्र)' तथा प्रस्ता-(2) में '31 मार्च, 2016' के स्थान पर '31 मार्च, 2017' पढा जाए।

2- इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-10/367/38-6-16-02(एनआरएलएम)/ 2015, दि0-28.04.2016 इस सीमा तक संशोधित समा जाएगा तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(वी0हेकाली झिमोमी)

सचिव।

<u>संख्या-17/2016/547(1)/38-6-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।

http://gramadesh.up.nic.in